निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 ज्येष्ठ 1940 (श0)
(सं0 पटना 517) पटना, शुक्रवार, 1 जून 2018

सं० अ०स०क० 01–04–24–01/2017–441

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संकल्प

23 मई 2018

विषयः– अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु "बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना" एवं योजना की मार्ग–निर्देशिका की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को चयनित कर उन्हें उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि उनका सर्वांगीण विकास करते हुए उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रक्षेत्रों यथा मेडिकल, इंजिनियरिंग आदि में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ सके।

2. अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को चयनित कर मुफ्त उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 'बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना' एवं योजना की मार्ग–निर्देशिका तैयार की गई है जिसपर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

3. योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को मुफ्त शिक्षा के साथ–साथ वस्त्र, रोजमर्रा की समाग्रियाँ आदि भी उपलब्ध करायी जाएगी।

3. यह योजना शत–प्रतिशत राज्य योजना है जिसका क्रियान्वयन संलग्न मार्ग–निर्देशिका के अनुसार किया जाएगा।

4. योजना का संचालन निम्नांकित बजट शीर्षों के अंतर्गत प्रावधानित राशि से किया जाएगा :–

1. **निर्माण हेतु–** बजट मुख्य शीर्ष– 4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष– 04–अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष– 051–निर्माण– समूह शीर्ष– राज्य स्कीम के अन्तर्गत उपशीर्ष–103–अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय विपत्र कोड सं0–03–4225040510103, विस्तृत शीर्ष– 53–मुख्य निर्माण कार्य एवं विषय शीर्ष–01– मुख्य निर्माण कार्य।

2. **संचालन हेतु**— मुख्य शीर्ष— 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष— 04—अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष—277—शिक्षा— समूह शीर्ष— राज्य स्कीम के अन्तर्गत उपशीर्ष— 0104—अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय विपत्र कोड सं0—30—2225042770104, विस्तृत शीर्ष— 01—वेतन एवं अन्य।

आदेशः— **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/ पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।**

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मो० एस० आई० फैसल,
विशेष सचिव—सह—निदेशक।

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना की मार्ग–निर्देशिका
(Bihar State Minorities Residential School Scheme)

1. **पृष्ठभूमि :–** राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थानों की कमी है। केन्द्र द्वारा संचालित नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर आवासीय विद्यालयों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के बीच उच्च गुणवत्ता की स्कूली शिक्षा का प्रसार किया जा सकता है। पूर्व से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इसी तर्ज पर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए योजना चलाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विभागीय समीक्षा के दौरान निर्देश प्राप्त हुए जिसकी विधिवत घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2017 के अवसर पर भी की गई।

2. **उद्देश्य :–** अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रयास कर उन्हें मानसिक, शारीरिक, समाजिक एवं भावनात्क रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित किये जाएगें। इसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। विद्यालय में नवीं कक्षा से बारहवीं तक की पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था के साथ–साथ मुफ्त वस्त्र, रोजमर्रा की समाग्रियाँ आदि उपलब्ध कराई जाएंगी। शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेश ध्यान दिया जाएगा ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रक्षेत्रों यथा मेडिकल/ इंजिनियरिंग आदि में बढ़ सके।

3. **योजना का वित्तीय आकार :–** भौतिक लक्ष्य के अनुसार योजना का वित्तीय आकार तय किया जाएगा। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण, अनुरक्षण एवं मरम्मति आदि की दर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आवासीय विद्यालय के लिए स्वीकृत भवन निर्माण विभाग/भवन निर्माण निगम के अनुमोदित नक्शें एवं प्राक्कलन के अनुसार तय किया जाएगा। इसी प्रकार विद्यालय संचालन का बजट प्राक्कलन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आवासीय विद्यालयों में होने वाले प्रति छात्र प्रतिवर्ष व्यय के अनुमोदित दर के आधार पर तय किया जाएगा।

4. **विद्यालय का स्वरूपः–**

(क) **पाठ्यक्रम :–** आवासीय विद्यालय राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय विद्यालयों के पैर्टन पर संचालित होगा, फलस्वरूप इन आवासीय विद्यालयों की कक्षा–9 से लेकर 10+2 स्तर तक की कक्षाओं में पाठ्यक्रम के विषय एवं समय वही रहेंगे, जो शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायेंगे। तथापि विद्यार्थियों के क्षमता वर्द्धन हेतु अग्रेंजी भाषा, कम्प्यूटर ज्ञान एवं कौशल प्रशिक्षण हेतु विशेष प्रावधान किये जाएगें।

(ख) विद्यालय के संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से संबद्ध कराया जाएगा एवं विहित माप दण्डों के अनुसार विद्यालय की संरचना एवं प्रबंधन सुनिश्चित की जाएगी।

(ग) विद्यालयों में पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार होगा तथा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी।

(घ) विद्यालय सह–शिक्षण प्रणाली (Co- education system) पर आधारित होगा जिससे की छात्र–छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो सके एवं वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें।

(च) माध्यमिक कक्षाओं (Intermediate) में PCM, PCB, Arts, Commerce विषयों के साथ–साथ Vocational Courses के पठन–पाठन के सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

(छ) विद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा। किन्तु विद्यार्थियों में अग्रेंजी भाषा की दक्षता बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास किये जाएँगे। साथ ही उर्दू पठन–पाठन की व्यवस्था भी की जाएगी।

(ज) विद्यालय में प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा से 9वीं एवं 11वीं कक्षा हेतु दी जाएगी।

(झ) विद्यालय में 50% सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित होंगी। बालक और बालिका दोनों वर्गो में 75% ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेगा।

(ट) आरक्षित वर्ग में समुचित नामांकण प्राप्त न होने की स्थिति में अनारक्षित वर्ग के छात्र/छात्राओं का प्रतिक्षा सूची के आधार पर नामांकण किया जाएगा।

(ठ) विद्यालय में सभी सुविधायुक्त कक्षा, कॉमन रूम, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शौचालय, आदि होंगे। इसी प्रकार विद्यालय में शिक्षक एवं कर्मचारी आवास, खेलकूद, मनोरंजन आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

(ड) विभाग द्वारा आवासीय विद्यालयों में मुफ्त भोजन/वस्त्र/पठन–पाठन सामग्री, तेल साबुन, आदि दिया जायेगा तथा भोजन–नाश्ता मीनू के अनुसार दिया जाएगा।

(ढ) विद्यालय में विशेष कोचिंग/व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।

(ण) शिक्षा विभाग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय–समय पर दिए गए निदेशों का पालन किया जाएगा।

(त) विद्यालय के शिक्षण एवं संचालन हेतु एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आवासीय विद्यालयों के लिए निर्गत दिशानिर्देशों की भी सहायता ली जाएगी।

(थ) शिक्षकों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाएगा एवं उनकी योग्यता, चयन प्रक्रिया मानदेय आदि के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा।

4.1 **विद्यालय की ब्रांडिंग**:--विद्यालयों की गुणवत्ता स्थापित करने इन विद्यालयों का समान एवं विशेश नामांकरण किया जाएगा जैसे कि "दान--कर्ता" गुलशन--ए-- बिहार आवासीय विद्यालय। उदहारण--"मो0 ओबैदुल्लाह गुलशन--ए--बिहार आवासीय विद्यालय, दरभंगा"

4.2 **नामांकण की प्रक्रिया** :-- नामांकण मेधा सूची के आधार पर होगा एवं इसके लिए निदेशालय लिखित प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा। अभ्यार्थी की नवीं एवं ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु क्रमशः 16 एवं 18 वर्ष होगी। साथ ही अभ्यार्थी की अधिकतम परिवारिक वार्षिक आय छः लाख रुपये होगी। परीक्षा आयोजन हेतु किसी अन्य सरकारी संस्था का भी सहायोग लिया जा सकेगा। प्रवेश परीक्षा हेतु राज्य स्तरीय समिति, नामांकण उप समिति गठित करेगी जो प्रवेश परीक्षा के आयोजन, पाठ्यक्रम, परीक्षा के स्वरूप, परीक्षा केन्द्र आदि संबंधित विषयों पर आवश्यक निर्णय लेगी एवं संचालन में अवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।

5. **योजना संचालन हेतु समितियाँ**:--योजना संचालन हेतु त्रिस्तरीय संचालन समितियाँ गठित होंगी। कोरम तीन सदस्यों से पूरा होगा जिसमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

5.1 **राज्य स्तरीय संचालन समिति** :--

विकास आयुक्त, बिहार	-- अध्यक्ष
प्रधान सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	-- उपाध्यक्ष
शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि	-- सदस्य
श्रम संसाधन विभाग के प्रतिनिधि	-- सदस्य
अनु0जाति एवं अनु0सू0जनजाति कल्याण विभाग के निदेशक	--सदस्य
भवन निर्माण विभाग के प्रतिनिधि	-- सदस्य
उप कुलपति, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय	-- सदस्य
निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय	-- सदस्य सचिव

कार्य एवं शक्तियाँ :---

(क) विद्यालय पाठ्यक्रम, शैक्षणिक एवं गैर--शैक्षणिक क्रियाकलापों, शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन, विद्यालय के बेहतर प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश एवं पठन--पाठन में गुणात्मक सुधार हेतु उपाय।

(ख) योजना हेतु शैक्षणिक, गैर--शैक्षणिक एवं अन्य कर्मियों की संख्या, योग्यता, चयन प्रक्रिया, पारिश्रमिक, सेवा शर्त आदि का निर्धारण।

(ग) राज्य स्तर समिति की बैठक में बेहतर सलाह हेतु प्रख्यात शिक्षाविद, कैरियर सलाहकार अथवा अन्य विशेषज्ञों, शिक्षा क्षेत्र में क्रियाशील सामाजिक कार्यकर्ता, अनुभव प्राप्त अधिकारियों आदि को विशेष आमंत्रण पर बुलाया जा सकता है जिसका व्यय वहन योजना के प्रशासनिक मद से किया जा सकेगा।

(घ) राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन से योजना संचालन हेतु विशिष्ट कार्य के लिए उप समितियाँ गठित की जा सकती है अथवा किसी सरकारी एजेंसी की सेवा प्राप्त की जा सकती है।

(च) राज्य स्तरीय समिति, समयानुकूल विद्यालय के स्वरूप एवं योजना के कार्यान्वयन में आ रही प्रक्रियागत अथवा अन्य खामियों को दूर करने के लिए नीतिगत बदलाव पर भी विचार करेगी।

(छ) योजना के प्रभावकारी संचालन, बेहतर प्रबंधन एवं विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आधुनिकतम प्रणाली अपनाने, किसी बिन्दु पर विशिष्ट अध्ययन आदि के लिए परामर्शी/विशेषज्ञ की सेवा ली जा सकती है।

(ज) भविष्य में आवासीय विद्यालयों की समुचित संख्या होने के पश्चात इनके बेहतर प्रबंधन एवं स्वायत संचालन हेतु सोसाइटी/निकाय का गठन किया जाएगा।

5.2 **जिला स्तरीय संचालन समिति**:

उप विकास आयुक्त	--अध्यक्ष
नवोदय/कैन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक	--सदस्य
जिला शिक्षा पदाधिकारी	--सदस्य
जिला कल्याण पदाधिकारी	--सदस्य
कार्यपालक अभियंता,भवन निर्माण विभाग	--सदस्य
भूमि दानकर्ता/लीजकर्ता के प्रतिनिधि	--सदस्य
प्रधानाध्यापक/प्राचार्य	--सदस्य
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी	-- सदस्य
	--सदस्य--सह--सचिव

कार्य एवं शक्तियाँ :--जिला स्तरीय समिति का दायित्व होगा कि आवासीय विद्यालय का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा कर आवश्यकतानुसार शैक्षणिक, आधारभूत संरचना एवं स्थानीय स्तर की समस्याओं के निदान हेतु महत्वपूर्ण परामर्श दें। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी विद्यालय प्रबंधन से समन्वय स्थापित कर समस्याओं का निदान करना सुनिश्चित करेंगे। जिला स्तरीय समिति का कार्य विद्यालय संचालन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा। साथ ही सामग्रियों के क्रय, मेस का संचालन, भवन का रख--रखाव, विद्यालय का बजट निर्धारण आदि में सहयोग प्रदान करना।

5.3 विद्यालय प्रबंधन समिति

प्रधानाध्यापक	--अध्यक्ष
जिला पदाधिकारी द्वारा नामित दो अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य	--सदस्य
दो वरीय अध्यापक	-- सदस्य
छात्रावास अधीक्षक	--सदस्य
मेस इंचार्ज	--सदस्य
भूमि दानकर्ता/लीजकर्ता के प्रतिनिधि	--सदस्य
उप प्रधानाध्यापक	-- सदस्य--सह--सचिव

कार्य एवं शक्तियाँ :

(क) **प्रत्येक आवासीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका** अपने संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को विद्यालयों के प्रगति के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन देंगे जिसमें इस मार्गदर्शिका में उल्लेखित निदेशों के अनुपालन का स्तर, भवन एवं अन्य सुविधाओं की स्थित, शिक्षण का स्तर, extra curriculer activities, परीक्षाफल के संबंध विश्लेषणात्मक टिप्पणी, विद्यालय के संचालन की सामान्य स्थिति आदि का समावेश हो।

(ख) विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु कार्य--योजना बनाना।

(ग) विद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर--शैक्षणिक गतिविधियों के विकास हेतु कार्य--योजना बनाना।

(घ) विद्यालय परिसर एवं छात्रावासों का समय--समय पर निरीक्षण करना ।

(च) विद्यालय की समस्त चल/अचल संम्पतियों की सुरक्षा एवं रख--रखाव।

(छ) विद्यालय में उत्तम शैक्षणिक वातावरण बनाए रखना/बनाना एवं शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में अनुशासन कायम रखना।

5.4 **विद्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण स्वरूपः**--विद्यालय में शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति, अनुशासनत्मक प्राधिकार एवं गोपनीय अभ्युक्ति निम्न प्रकार से की जाएगी :--

क्र. सं.	पदनाम	गोपनीय अभ्युक्ति लिखने वाले पदाधिकारी का नाम	समीक्षा पदाधिकारी का नाम एवं अनुशासनात्मक प्राधिकार	नियुक्ति प्राधिकार
1	प्रधानाध्यापक	जि0अ0क0पदा0	निदेशक	प्रधान सचिव / सचिव
2	उपप्रधानाध्यापक	प्रधानाध्यापक	जि0अ0क0पदा0	प्रधान सचिव / सचिव
3	पी0जी0टी0	प्रधानाध्यापक	जि0अ0क0पदा0	प्रधान सचिव / सचिव
4	अन्य शिक्षक एवं कर्मी	उप प्रधानाध्यापक	प्रधानाध्यापक	प्रधान सचिव / सचिव

6. **योजना क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यय एवं संरचनाः --**

6.1 निदेशालय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन, देख--रेख एवं निरीक्षण के लिए एक Project Management Unit (PMU) का गठन किया जाएगा। PMU अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के निदेशक के अन्तर्गत कार्यरत रहेगा एवं योजना सम्बंधी प्रगति से उन्हें समय--समय पर अवगत कराएगा। योजना संचालन में सहयोग हेतु बिहार शिक्षा सेवा से प्रतिनियुक्त एक वरीय पदाधिकारी निदेशालय में पदस्थापित होंगे। उक्त पद हेतु अन्य सरकारी अथवा प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अथवा सेवानिवृत विशेषज्ञों की सेवा भी प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर ली जा सकेगी। इसके अतिरिक्त PMU के अन्तर्गत एक योजना प्रबंधक एवं एक एकाउटेन्ट को संविदा/बाहय सेवा पर अनुबंधित किया जायगा। अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी जिसे कार्य के मूल्यांकण के पश्चात् विस्तार किया जा सकेगा। योग्यता एवं पारिश्रमिकी का निर्धारण राज्य स्तरीय विद्यालय संचालन समिति के द्वारा किया जाएगा। PMU के कर्मियों का चयन संविदा के

आधार पर सरकारी एजेंसी/एच0 आर0 एजेंसी से किया जाएगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक आई0टी0 सक्षम प्रणाली का विकास किया जाएगा।

6.2 योजना संचालन हेतु संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में अवश्यकतानुसार अतिरिक्त सहायकों/कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवा संविदा/बाह्य सेवा के आधार पर उपलब्ध करायी जाएगी।

6.3 बजट राशि का 3 प्रतिशत तक व्यय निदेशालय को प्रशासनिक मद यथा संविदा सेवा, क्षमता वर्धन, प्रचार-प्रसार, सेमिनार आयोजन, प्रशिक्षण, बाह्य सेवा प्रदाता द्वारा परामर्शी एवं कार्यालय कार्य हेतु अन्य सेवा, यात्रा एवं दैनिक भत्ता आदि में अवंटित किया जा सकेगा।

7. **विद्यालय हेतु भूमि की उपलब्धता**:— आवासीय विद्यालय के स्थापना हेतु भूमि का आकार कम से कम 3 एकड़ होना चाहिए। यह भूमि समान्यतः सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। वक्फ, मदरसा, ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा अन्य द्वारा दानित अथवा लीज पर दी गयी भूमि का भी प्रयोग विद्यालय स्थापना हेतु किया जा सकता है। किन्तु विद्यालय निर्माण हेतु भूमि कम से कम 30 वर्षों के लीज पर उपलब्ध करायी जाएगी। वक्फ एवं मदरसा द्वारा दी गयी भूमि को सरकार के नाम से हस्तांतरित करने की बाध्यता नहीं होगी।

भूमि दानकर्ता/लीजकर्ता वक्फ, मदरसा, ट्रस्ट, सोसाइटी आदि को जिला संचालन समिति एवं विद्यालय प्रबंधन समिति में सहभागिता दी जाएगी एवं विद्यालय का नामांकरण उनकी अनुशंसा पर किया जाएगा।

भूमि की अनुपलब्धता में विद्यालय निर्माण हेतु भूमि का क्रय भी किया जा सकता है। किन्तु क्रय हेतु सरकार द्वारा निहित नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

8. **क्रियान्वयन एजेंसियाँ** :—

8.1 **आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण एवं रख-रखाव**

(क) आवासीय विद्यालयों में भवनों के निर्माण कार्य, रख-रखाव खर्च तथा फर्नीचर आपूर्ति एवं अधिष्ठापन भवन निर्माण विभाग, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 या बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निर्माण निगम लि0 जैसे सरकारी संस्थाओं द्वारा कराया जाएगा।

(ख) शौचालय, पेयजल, भवन की मरम्मति आदि से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, क्षेत्र में पदस्थापित अभियंताओं से प्राक्कलन तैयार कराकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो प्राक्कलन को जाँच कर अवश्यकतानुसार राशि की अधियाचना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से करेंगे।

(ग) आवासीय विद्यालय के परिसर में अवस्थित शौचालय, पेयजल एवं भवन की मरम्मति/रंग रोगन आदि से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी समय-समय पर निरीक्षण कर आवश्यक रख-रखाव सुनिश्चित करेंगे।

8.2 **सामग्रियों का क्रय**:— अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के लिए उत्तम गुणवत्ता की आवश्यक सामग्रियों का क्रय उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के द्वारा किया जाएगा। समिति के अन्य सदस्यगण अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी(सदस्य सचिव), विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं जिला पदाधिकारी द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी होंगे। क्रय समिति सामग्री की गुणवत्ता एवं दर निर्धारित करेंगी एवं क्रय/सेवा प्राप्ति हेतु बिहार वित्त नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी। सामग्रियों का क्रय एवं वितरण का अधिकार व्यय सीमा के अनुसार जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/प्रधानाध्यापक का होगा।

(क) निदेशालय समय-समय पर विद्यालय हेतु आवश्यक सामग्रियों की सूची निर्गत करेगा एवं राशि आवंटन हेतु सामग्रियों की अधिकतम अनुमानित दर निर्धारित करेगा।

(ख) सामग्रियों का क्रय नियमानुसार उपलब्ध राशि के अन्तर्गत ही किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाय।

(ग) राशि की कमी की स्थित में समुचित सूचनाओं यथा-वर्गवार छात्र-छात्रा की संख्या, आवश्यक सामग्री का विवरण, कुल सामग्री की आवश्यकता, मदवार कुल राशि की आवश्यकता, उपलब्ध राशि एवं शेष राशि के संबंध में सूचनाएँ उपलब्ध कराते हुए राशि/आवंटन की मांग की जाएगी ताकि तदनुसार आवंटन विमुक्त किया जा सके।

8.3 **मेस संचालन** :— विद्यालय में मेस का संचालन बाह्य एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। मेस संचालन के लिए मेनू का निर्धारण विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा।

8.4 **शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का सृजन** :— शिक्षा के अधिकार अधिनियम- 2009, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं शिक्षा विभाग, बिहार के दिशा-निदेश के अनुरूप सभी आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। 560 क्षमता वाले आवासीय विद्यालय हेतु पदों का विवरण निम्न तालिका में अंकित है :—

तालिका–1
विद्यालयों हेतु पदों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत पदों की संख्या	वेतनमान	ग्रेड–पे
1	2	3	4	5
	शैक्षणिक पद			
1	प्रधानाध्यापक / प्राचार्य	1	9300–34800	5400
2	उप प्रधानाध्यापक / उप प्राचार्य	1	9300–34800	4800
3	उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षत)	20	5200–20200	2800
4	माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षत)	9	5200–20200	2400
	योग	31	—	—
	गैर शैक्षणिक पद			
1	छात्रावास प्रबंधक	1	9300–34800	4200
2	पुस्तकाध्यक्ष	1	5200–20200	2400
3	उच्च वर्गीय लिपिक	1	5200–20200	2400
4	निम्न वर्गीय लिपिक	3	5200–20200	1900
5	प्रयोगशाला सहायक	3	5200–20200	2000
	योग	9		

तालिका–2
प्रत्येक विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षकों (10+2) के पदों की विषयवार विवरणी।

क्र.सं.	विषय का नाम	पदों की संख्या
1	अंग्रेजी	2
2	हिन्दी	2
3	उर्दू	1
4	गणित	1
5	भौतिक शास्त्र	1
6	रसायन शास्त्र	1
7	वनस्पति विज्ञान	1
8	जीव विज्ञान	1
9	कम्प्यूटर	1
10	इतिहास	1
11	भूगोल	1
12	समाज शास्त्र	1
13	राजनीति शास्त्र	1
14	गृह विज्ञान	1
15	मनोविज्ञान	1
16	अर्थशास्त्र	1
17	लेखा	1
18	व्यवसायिक अध्ययन	1
	कुल पदों की संख्या	20

तालिका–3
प्रत्येक विद्यालय में माध्यमिक शिक्षकों के
पदों की विषयवार विवरणी।

क्र.सं.	विषय का नाम	पदों की संख्या
1	अंग्रेजी	1
2	हिन्दी	1
3	उर्दू	1
4	विज्ञान	1
5	गणित	1
6	समाज शास्त्र	1
7	शारीरिक शिक्षा	1
8	संगीत/कला	1
9	कम्प्यूटर	1
कुल पदों की संख्या		9

(क) विद्यार्थियों की संख्या एवं पाठ्यक्रम के विषयों के अनुसार शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कार्य बल का निर्धारण किया जाएगा।

(ख) अनुसेवक, रसोईया, रात्रि प्रहरी एवं सफाई कर्मी की सेवा आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग पर ली जाएगी।

(ग) शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का नामांकरण एवं वेतनमान शिक्षा विभाग के अनुरूप किया जाएगा।

(घ) आवश्यकता को देखते हुए शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक पदों की बहाली हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा सीधी नियुक्ति, अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति, संविदा, बाह्य सेवा आदि की प्रक्रिया अपना सकती है। सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी।

(च) शैक्षणिक/गैर–शैक्षणिक पदों में प्रतिनियुक्ति, संविदा, बाह्य सेवा के माध्यम से चयन हेतु कार्रवाई अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय स्तर पर की जाएगी। कार्य हेतु अवश्यकतानुसार किसी अन्य सरकारी संस्था की सहायता प्राप्त की जा सकती है।

9 **योजना का वित्तीय प्रबंधनः**

9.1 **व्यय शीर्ष एवं निकासी** :– योजना संचालन हेतु मुख्यतः दो शीर्ष "निर्माण" एवं "संचालन" के होंगे। संचालन हेतु "वैतनिक" एवं "गैर वैतनिक" उपशीर्ष होंगे। गैर वैतनिक मद में विभिन्न वस्तुओं के क्रय एवं सेवा प्राप्ति हेतु अवश्यक लघुशीर्ष खोले जाएंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं विद्यालय प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाध्यापक निर्धारित शीर्षों में आवंटित राशि का विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक व्यय करेंगे। विभाग द्वारा आवंटित राशि का अवश्यकतानुसार आंतरिक समांजन किया जा सकेगा।

9.2 प्रत्येक विद्यालय हेतु एक बैंक खाता संचालित होगा। खाता जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक एवं उप प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जाएगा। खाते का संचालन निम्न प्रकार से होगा।

निकासी का प्राधिकार	निकासी की राशि
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं प्रधानाध्यापक (संयुक्त)	रु0 एक लाख से अधिक
प्रधानाध्यापक एवं उप प्रधानाध्यापक (संयुक्त)	रु0 25,000/– से एक लाख
प्रधानाध्यापक	रु0 25,000/– से कम

राज्य स्तरीय समिति द्वारा निकासी की राशि की सीमा में आवश्यक बदलाव कर सकती है।

9.3 विभाग द्वारा अगले सत्र हेतु वर्ष 31वीं जनवरी तक योजना का वित्तीय बजट तय कर लिया जाएगा।

9.4 **लेखा एवं आंकेक्षण** :– आय–व्यय का नियमित ब्यौरा रखा जाएगा एवं ब्योरा का मिलान बैंक खाते से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक ब्यौरे एवं अभिलेखों का ससमय आंकेक्षण कराया जाएगा एवं वार्षिक प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग को ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

10. **विद्यालय संचालन हेतु अल्पकालिक व्यवस्था** :– योजना स्वीकृति एवं विद्यालय हेतु भूमि प्राप्त होने के पश्चात् विद्यालय का संचालन किसी सरकारी भवन अथवा किराये के भवन में भी किया जा

सकता है। इसी प्रकार स्वीकृत कार्य बलों की नियमित नियुक्ति होने तक विद्यालय संचालन हेतु सरकारी अथवा प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से सेवानिवृत शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों की भी सेवा संविदा पर ली जाएगी।

11. **पर्यवेक्षण (Supervision) :–**

11.1 समय–समय पर वाह्य एजेन्सियों के विशेषज्ञ/गणमान्य व्यक्तियों, अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक संस्था आदि द्वारा योजना की प्रगति एवं प्रभावकारिता का पर्यवेक्षण कराया जाएगा।

11.2 संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन उच्चधिकारी एवं विभाग को भेजेंगे।

11.3 योजना से सम्बद्ध विभागीय अधिकारी/जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त /जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी आदि, जिला स्तर पर योजना का प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी रखने में आवश्यक दायित्व निभाएंगे।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 517-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in